भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं॰ 3868
दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में सुरक्षित पेयजल

3868. श्री भुवनेश्वर कालिताः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति है कि सभी राज्य सरकारें लोगों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करें;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को असम में सुरक्षित पेयजल की अत्यधिक कमी की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप आर्सेनिक संदूषण की वजह से कैंसर के मामलों तथा अन्य संबंधित बीमारियों में वृद्धि हो रही है; और
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कदम उठाने हेतु कोई निर्देश जारी करेगी?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) से (घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकारें ही ग्रामीण आबादी तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, निष्पादन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग कवरेज के लिए तथा प्रभावित बसावटों में जल गुणवत्ता की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि असम सरकार ने सूचित किया है कि पेयजल की भारी किल्लत नहीं है।

आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए, नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) की संस्थापना और सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए मार्च, 2016 में 1,000 करोड़ रु. जारी किए थे। इनमें से, असम सरकार को आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 11.57 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लगभग 28,000 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को 4 वर्षों की अवधि में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधियों की उपलब्धता के शर्त के अधीन एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) आरंभ किया था। 28 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत असम सरकार को, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करने हेतु चालू नल जल आपूर्ति स्कीमों के लिए 220.63 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।